

दिनांक

20/4/26

कोर्ट के पास

दी

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
साँगोद जिला कोटा (राज०)

20.4.26

डा. लाल

AP034.1 मुल० ने न्यायालय में खर्च कर
दर-बमागत प्रेष की, पडावली का अवकाश
दिया गया वहल सुनी गयी आदेश है कि
मुल० ने आदेश से 30,000/- रुपये के बमागत
मुचलके प्रेष कर लेंगे कर रहे हैं बमागत
पर आवास नहीं

आदेश कि पावरा में बमागत मुचलके
प्रेष दिये जा लेंगे दिये गये

बमागत मुल० 313 एनएल लिये गये व्याप
अकाउंट प्रेष करा नहीं पाया वहल दे
अनप बादा पडावली गल्ट वहल अहित
दिनांक 23.4.26 की प्रेष द्ये

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
साँगोद जिला कोटा (राज०)